



MP – TET

माध्यमिक स्तर (कक्षा 6- 8)

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (MPESB)

भाग - 5

हिन्दी

हिन्दी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र



विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	हिंदी भाषा का परिचय	1
2	राजभाषा हिन्दी – संवैधानिक विकास	8
3	हिन्दी साहित्य का परिचय एवं विकास	15
4	हिन्दी गद्य साहित्य की विधा	28
5	हिन्दी लेखकों का सामान्य परिचय एवं रचनाएँ	34
6	वाक्य एवं वाक्य प्रकार	40
7	वाक्य रचना	45
8	वाक्य शुद्धि	49
9	वाच्य	53
10	विराम चिन्ह	55
11	मुहावरे	58
12	लोकोक्तियाँ	66
13	शब्द शक्ति	73
14	काव्य मे भाव, विचार, शिल्प, नाद सौन्दर्य, जीवन दृष्टि की पहचान	79
15	रस	81
16	छंद	88
17	अलंकार	92
18	निबंध लेखन	96
19	पत्र लेखन	129
20	अपठित गद्यांश	146
21	अपठित पद्यांश	151
22	वर्णमाला	154
23	संज्ञा	158

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	सर्वनाम	160
25	विशेषण	162
26	क्रिया	165
27	काल	168
28	कारक	172
29	लिंग	175
30	वचन	180
31	संधि	183
32	समास	195
33	उपसर्ग	205
34	प्रत्यय	209
35	तत्सम व तद्भव शब्द	214
36	वर्तनी शुद्धि	219
37	अव्यय एवं अविकारी शब्द	224
38	विलोम शब्द	228
39	वाक्य के एक शब्द	234
40	पर्यायवाची शब्द	242
41	हिन्दी शिक्षण	247
42	हिन्दी शिक्षण विधि	250
43	भाषा-शिक्षण उपागम	258
44	भाषा दक्षता का विकास	260
45	भाषा कौशल	262
46	भाषा-शिक्षण में चुनौतियाँ	265

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
47	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन	266
48	निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण	268

1 CHAPTER

हिन्दी भाषा का परिचय

भाषा क्या है?

- **भाषा** शब्द संस्कृत के “भाष” धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है - **बोलना या कहना** ।
- सामान्य रूप से कहा जाए तो **भाषा** का संबंध जीवों को अपने **विचार और भावों** को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है । अतः **भाषा** का साधारण अर्थ है - **अभिव्यक्ति और अपनाया गया बाध्यतः** ।
- मनुष्य स्वभावतः अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना चाहता है और उसके लिए वह जिस माध्यम को अपनाता है वह **भाषा** कहलाती है । इस प्रकार **भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम** है ।

पंतजलि के अनुसार, “जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं ।”

डॉ भोलानाथ तिवारी के अनुसार, “भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके ।”

कामताप्रसाद गुरु के अनुसार, “भाषा वह साधन है, जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों के साथ भली भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है ।”

हिन्दी भाषा की व्युत्पत्ति:

हिन्दी भाषा की व्युत्पत्ति या जन्म 1000 ई. के आसपास माना जाता है जबकि साहित्य के रूप में हिन्दी भाषा की शुरुआत लगभग 1150 ई. के लगभग से मानी जाती है ।

हिन्दी भाषा की व्युत्पत्ति को निम्नलिखित टेबल के माध्यम से समझा जा सकता है -

काल / चरण	बोलियाँ / भाषाएँ	उदाहरण / आगे का विकास
वैदिक संस्कृत काल	3 बोलियाँ – पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी	—
पाली काल	4 बोलियाँ – पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी	—
प्राकृत काल	6-7 बोलियाँ – ब्राह्म, केकय, टक्क, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी	प्राकृत साहित्य
अपभ्रंश काल	6-7 अपभ्रंश – ब्राह्म, केकय, टक्क, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी	—
आधुनिक भाषाओं का उद्भव	➤ ब्राह्म → सिंधी ➤ केकय → लहंदा ➤ टक्क → पंजाबी ➤ शौरसेनी → गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी ➤ महाराष्ट्री → मराठी ➤ अर्धमागधी → पूर्वी हिंदी ➤ मागधी → बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया	लगभग 1000 ई. के आसपास हिंदी का जन्म
हिंदी साहित्य का आरंभ	हिंदी का साहित्यिक प्रयोग	लगभग 1150 ई. से (जैसे अपभ्रंश कवियों में)

- उपरोक्त तालिका के आधार पर, **हिन्दी भाषा का उद्भव** मुख्यतः **शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंशों** से लगभग **1000 ई. के आसपास** माना जाता है।

संस्कृत → पाली → प्राकृत → अपभ्रंश → हिन्दी

हिन्दी भाषा का विकास क्रम

याद करने योग्य बातें:

1. हिन्दी भाषा के ठीक पहले अपभ्रंश भाषा का उपयोग में थी।
2. हिन्दी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
3. डॉ भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिन्दी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं।
4. भाषा के लिए हिन्दी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के ज़फ़रनामा (1424 ई.) में मिलता है।
5. अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी के मध्य का समय संक्रान्ति काल कहा गया है।
6. चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिन्दी का प्रथम कवि माना है।
7. अपभ्रंश को रामचन्द्र शुक्ल ने प्राकृतभाषा तथा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिन्दी कहा है।
8. अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था 'अवहट्ठ' के नाम से जानी जाती है। अवहट्ठ में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्तिपताका की रचना की है।
9. 'दोहा' (दूहा) मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छन्द है।

हिन्दी भाषा का नामकरण

- 5 वीं-6 वीं शताब्दी: अरब और फारस के व्यक्ति भारत को “हिन्द” कहते थे और यहाँ पर प्रचलित भाषा को “जबाने हिन्द” (हिन्द की भाषा) कहते थे।
✓ यही कारण रहा है कि संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा को हिन्दी की संज्ञा दी जाती है।
- अल्बरूनी (11वीं शताब्दी), औफी (13वीं शताब्दी), अमीर खुसरो (13-14वीं शताब्दी) ने भी “हिन्दी” शब्द का प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं के लिए किया।
- 13 - 14 वीं शताब्दी: विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाओं (राजस्थानी, गुजराती, मैथिली, मराठी इत्यादि) के विकास के बाद भी सामान्य नाम हिन्दी/ हिंदवी/ हिन्दुस्तानी प्रचलन में रहा है।
a. बाबर के द्वारा - हिंदुस्तानी
b. मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा - हिंदवी

- वर्तमान में प्रचलित “हिन्दी” शब्द मुख्यतः खड़ी बोली हिन्दी के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, बिहारी, पूर्वी-पश्चिमी हिन्दी की सभी बोलियाँ और उनका साहित्य शामिल है।

साहित्यिक रूप से हिन्दी:

- साहित्य में हिन्दी का प्रमुख रूप ब्रजभाषा रहा, जो लंबे समय तक काव्य की भाषा बनी रही।
- अवधी भी साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई (अर्ध-शौरसेनी + अर्ध-मागधी आधार)। खड़ी बोली का विकास भी अर्ध-शौरसेनी प्राकृत से हुआ।
- प्राचीन साहित्य में मराठी, राजस्थानी, मैथिली आदि भाषाओं को भी “हिन्दी” कहा गया (जैसे मराठी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, मैथिली हिन्दी)।

हिन्दी एकता के 4 सूत्र हैं -

1. भाषा वैज्ञानिक सूत्र – शौरसेनी अपभ्रंश से निकली बोलियाँ।
2. लिपि सूत्र – सभी का आधार देवनागरी लिपि।
3. भौगोलिक सूत्र – मध्यप्रदेश (राजस्थान-पंजाब सीमा से लेकर बिहार तक, और उत्तर से मध्यप्रदेश तक)।
4. सांस्कृतिक सूत्र – दार्शनिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक चेतना और आपसी आत्मीयता से जुड़ाव।

भारतीय आर्य भाषाएँ:

हिन्दी भारोपीय परिवार के अन्तर्गत आने वाली आर्य भाषा है। आर्य भाषा काल वो अन्तर्गत आने वाली भाषाएँ इस प्रकार हैं-

- प्राचीन आर्य भाषा-संस्कृत।
- मध्यकालीन आर्य भाषाएँ- पाली, प्राकृत, अपभ्रंश।
- आधुनिककालीन आर्य भाषाएँ हैं – हिन्दी, पंजाबी, मराठी, बंगला, सिन्धी, गुजराती, उड़िया, असमिया।

भारतीय आर्य भाषाओं का **मूल संस्कृत भाषा** है। संस्कृत से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ओड़िया, असमिया, सिंधी, लहंदा, नेपाली और सिंहली जैसी भाषाएँ विकसित हुईं। यूरोप की लैटिन, ग्रीक, जर्मन आदि भाषाओं में भी संस्कृत से समानता मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन सबका एक ही मूल स्रोत है।

भारतीय आर्य भाषाओं के युग

भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को तीन युगों में बाँटा जाता है।

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ (1500 ई.पू. – 500 ई.पू.)

: इस काल में वैदिक संस्कृत और उसके बाद लौकिक संस्कृत का प्रयोग हुआ।

- ✓ **वैदिक संस्कृत:** वैदिक संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद रचे गए। 'वेद' का अर्थ है "सत्य को जानने का साधन। वैदिक संस्कृत स्वर-प्रधान भाषा थी। इसकी रूप-संरचना जटिल और विविध थी तथा कृदन्तों का प्रयोग विश्लेषणात्मक रूप में मिलता है।
- ✓ **लौकिक संस्कृत:** लौकिक संस्कृत ई.पू. 500 के बाद विकसित हुई। इस भाषा में इतिहास, पुराण, कथा साहित्य, काव्य, नाटक, व्याकरण, छंद, काव्यशास्त्र, दर्शन, धर्म, चिकित्सा, गणित और ज्योतिष जैसे विविध विषयों का साहित्य रचा गया। रामायण आदि काव्य है और राष्ट्रीय जीवन का आधार माना जाता है। महाभारत को शतसाहस्ररी संहिता कहा जाता है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण है। अठारह पुराण रचे गए, जिनमें भागवत पुराण ने आगे चलकर कृष्णभक्ति साहित्य को प्रेरणा दी।
- ✓ **प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएँ :** प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ क्लिष्ट योगात्मक थीं, जिनमें शब्दों में ध्वनि-तत्त्व जोड़कर अर्थ का विस्तार किया जाता था। वैदिक संस्कृत स्वर-प्रधान थी, जबकि लौकिक संस्कृत बल-प्रधान हो गई। वैदिक भाषा के रूप विविध थे, पर संस्कृत में रूप अधिक व्यवस्थित हो गए। वाक्य पदबंधों से निर्मित होते थे, जिनमें कर्ता और क्रिया के साथ अन्य पद जुड़े रहते थे। सभी शब्द धातु और प्रत्यय से निर्मित माने जाते थे। संस्कृत साहित्य की दो प्रमुख धाराएँ थीं – वैदिक साहित्य (श्रुति) और लौकिक साहित्य (काव्य, नाटक, दर्शन आदि)।

2. मध्य भारतीय आर्य भाषाएँ (500 ई.पू. – 1000 ई.)

: इस युग में प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ।

- ✓ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में **पालि, प्राकृत और अपभ्रंश** को रखा जाता है।
- ✓ इनका समय 500 ई.पू. से 1000 ई. तक माना जाता है। इस काल को **प्राकृत काल** भी कहा गया है।
- ✓ पालि से अपभ्रंश तक के समय को **प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत** के रूप में भी विभाजित किया जाता है।
 - प्रथम प्राकृत के अन्तर्गत पालि और अशोक अभिलेखों की भाषा आती है।
 - द्वितीय प्राकृत में प्रादेशिक भिन्नताओं के कारण अलग-अलग प्राकृतें विकसित हुईं, जैसे – महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी।
 - तृतीय प्राकृत के अन्तर्गत अपभ्रंश भाषा आती है।

a. पालि

- ✓ पालि के विकास की सामग्री पालि साहित्य और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म के थेरवाद सम्प्रदाय का साहित्य रचा गया। बुद्ध और महावीर ने धर्म का प्रचार संस्कृत के बजाय जनभाषाओं में किया, जिनमें पालि प्रमुख रही।
- ✓ पालि शब्द का अर्थ 'मूलपाठ' या 'बुद्धवचन' है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संस्कृत के 'पंक्ति' शब्द से ध्वनि परिवर्तन द्वारा बना। चौथी-पाँचवीं शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष की अट्ठकथाओं तथा लंका के 'दीपवंश' में इसका प्रयोग 'बुद्धवचन' के अर्थ में हुआ।
- ✓ पालि साहित्य को दो भागों में बाँटा जाता है – **पिटक साहित्य** (त्रिपिटक) और **अनुपिटक साहित्य**। त्रिपिटक तीन भागों में है – **सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक**, जिनमें बौद्ध धर्म की आधारभूत शिक्षाएँ संकलित हैं।
- ✓ अशोक शिलालेखों में पालि भाषा के प्रयोग का उद्देश्य यही था कि धर्म की शिक्षा सामान्य जनता तक पहुँचे।
- ✓ **पालि की प्रमुख विशेषताएँ**
 - पालि में तीन लिंग हैं, लेकिन केवल दो वचन हैं; द्विवचन नहीं मिलता।

- इसमें ह्रस्व 'ए' और 'ओ' स्वर मिलते हैं।
- विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर 'ओ' आता है।
- 'श' और 'ष' के स्थान पर 'स' का प्रयोग होता है।
- कुछ वैदिक ध्वनियाँ (क, ह) पालि में बची रहती हैं।
- धातुओं में परस्मैपद अधिक मिलता है, आत्मनेपद लुप्तप्राय है।
- कई संस्कृत ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, जैसे नृत्य → निध्य, वृद्ध → बुद्धो।
- पालि में तद्भव शब्द अधिक हैं, तत्सम शब्द कम मिलते हैं।

b. प्राकृत

- ✓ प्राकृत का मूल संस्कृत है, किंतु यह संस्कृत का लोकभाषा-रूप था। जब संस्कृत शिष्ट जनों की भाषा बन गई, तब जनसामान्य में प्राकृत का प्रयोग होने लगा। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया और धीरे-धीरे भारतवर्ष में प्राकृत का व्यापक साम्राज्य स्थापित हुआ।
- ✓ 'प्राकृत' शब्द का अर्थ है – प्रकृति से उत्पन्न भाषा, यानी सहज रूप से बोली जाने वाली भाषा। यह संस्कृत की तरह कृत्रिम नहीं थी। विद्वानों ने प्राकृत को **मध्य भारतीय आर्य भाषा** कहा है।

प्रमुख साहित्यिक प्राकृतें

- **शौरसेनी प्राकृत** – मथुरा क्षेत्र की भाषा थी, जो संस्कृत के निकट रही। संस्कृत नाटकों में स्त्रियाँ और विदूषक इसका प्रयोग करते थे। इसमें संस्कृत के 'त' का 'द', और 'थ' का 'ध' हो जाता है।
- **अर्धमागधी प्राकृत** – इसमें शौरसेनी और मागधी दोनों की विशेषताएँ थीं। जैन आचार्यों ने इसे 'आर्ची' या 'आदि भाषा' कहा। इसमें श, ष के स्थान पर स का प्रयोग और व्यंजन-लोप की प्रवृत्ति मिलती है।
- **मागधी प्राकृत** – मगध की भाषा थी। इसमें 'र' के स्थान पर 'ल' का प्रयोग मिलता है (राजा → लाजा)। इसमें 'स' और 'ज' की जगह 'श' आता है। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते थे।

c. अपभ्रंश

- ✓ 'अपभ्रंश' का अर्थ है 'अपभ्रष्ट' या 'बिगड़ी हुई भाषा'। इसके अन्य नाम हैं – अवहट्ट, आभीरी आदि। इसे उस समय बोलचाल की भाषा माना जाता था।
- ✓ पंतजलि के *महाभाष्य* में 'अपभ्रंश' का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश को **मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी** माना जाता है। पाँचवीं शताब्दी से इसमें काव्य-रचनाएँ मिलने लगीं।
- ✓ अपभ्रंश साहित्य का विकास **मालवा, गुजरात और राजस्थान** में हुआ। आचार्य हेमचन्द्र ने अपभ्रंश और ग्राम्य भाषा में भेद किया। राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश को हिंदी का प्राचीन रूप बताया है।

- अपभ्रंश का वाल्मिकी स्वयंभू को कहा जाता है।
- जब अपभ्रंश भाषा से हिन्दी भाषा का विकास हुआ तो आरम्भ में अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी का प्रयोग किया जाता था। इस अपभ्रंश मिश्रित हिन्दी को अवहट्ट के नाम से पुकारा जाता है।
- अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है।

अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएँ

- इस काल में भाषा विश्लेषणात्मक हो गई।
- बल-प्रधान प्रवृत्ति बढ़ी।
- अकारान्त पुल्लिंग शब्दों की प्रधानता रही।
- लिंग और वचन केवल दो ही पाए जाते हैं।
- दन्त रूपों का अधिक प्रयोग हुआ।
- आधुनिक हिंदी की ध्वनि, व्याकरण और शब्दकोश को समझने के लिए अपभ्रंश का अध्ययन आवश्यक है।

अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास
भारतीय आर्यभाषाओं के विकास में अपभ्रंशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएँ निम्न प्रकार विकसित हुई—

1. **शौरसेनी अपभ्रंश** से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ।
2. **पैशाची अपभ्रंश** से लहँदा और पंजाबी का विकास हुआ।
3. **ब्राचड़ अपभ्रंश** से सिन्धी भाषा का विकास हुआ।
4. **महाराष्ट्री अपभ्रंश** से मराठी भाषा का विकास हुआ।

5. **मागधी अपभ्रंश** से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास हुआ।
6. **अर्द्धमागधी अपभ्रंश** से पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी) का विकास हुआ।

3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ (1000 ई. – वर्तमान काल) : इस काल से हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं का रूप प्रकट हुआ।

- ✓ अपभ्रंश काल में ही उन प्रवृत्तियों का आरम्भ हो गया था, जो आगे चलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में विकसित हुईं। शब्द और धातु-रूपों में अपभ्रंश ने अपने नवीन प्रयोगों द्वारा हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं की नींव रखी। अपभ्रंश का साहित्यिक क्षेत्र वही **मध्यदेश** था, जिसे हिंदी का उद्भव-स्थान माना जाता है। इसी कारण कई विद्वान अपभ्रंश को “पुरानी हिंदी” कहते हैं।
- ✓ आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय की सटीक सीमा निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि संक्रमण-काल की भाषा-सामग्री कम उपलब्ध है। अनुमानतः **तेरहवीं से पंद्रहवीं शताब्दी** तक का समय संक्रमणकाल था, जब अपभ्रंश धीरे-धीरे आधुनिक भाषाओं में रूपांतरित हो रहा था।
- ✓ सोलहवीं शताब्दी से आधुनिक आर्य भाषाओं में साहित्यिक कृतियाँ मिलने लगती हैं, जिनमें अपभ्रंश की विशेषताएँ नहीं दिखाई देतीं। अतः पंद्रहवीं शती तक भारतीय आर्य भाषाएँ आधुनिक रूप धारण कर चुकी थीं।
- ✓ **मुख्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ**
 - सिंधी, गुजराती, लहंडा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिंदी (पश्चिमी व पूर्वी)।
 - इनके अतिरिक्त कश्मीरी भी एक प्रमुख भाषा है।
 - उर्दू को वस्तुतः हिंदी की अरबी-फारसी से प्रभावित शैली माना गया है।
 - राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी को विद्वान अलग रखते हैं, किंतु ये हिंदी क्षेत्र में आती हैं।
 - भारत से बाहर की आधुनिक आर्य भाषाएँ : नेपाली, सिन्धली, जिप्सी।
- ✓ **भौगोलिक क्षेत्र**: आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर भारत है। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख क्षेत्र हैं।

✓ उत्पत्ति (उदाहरण सहित)

- शौरसेनी → पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती।
- पैशाची → लहंडा, पंजाबी।
- शौरसेनी-ब्राचड़ → सिंधी।
- महाराष्ट्री → मराठी।
- मागधी → बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया।
- अर्द्धमागधी → पूर्वी हिंदी।

✓ आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण

1. ग्रियर्सन का वर्गीकरण (लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया)

a. बाहरी उपशाखा

- ☞ उत्तरी-पश्चिमी समुदाय : लहंडा, सिंधी
- ☞ दक्षिणी समुदाय : मराठी
- ☞ पूर्वी समुदाय : उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया

b. मध्य उपशाखा

- ☞ पूर्वी हिंदी

c. भीतरी उपशाखा

- ☞ केन्द्रीय समुदाय : पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी, राजस्थानी
- ☞ पहाड़ी समुदाय : नेपाली (पूर्वी पहाड़ी), मध्य व पश्चिमी पहाड़ी

2. सुनीतिकुमार चटर्जी का वर्गीकरण

- उदीच्य (उत्तर-पश्चिमी) : सिंधी, लहंडा, पंजाबी
- प्रतीच्य (पश्चिमी) : गुजराती
- मध्यदेशीय : राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी
- प्राच्य (पूर्वी) : उड़िया, बंगाली, असमी
- दक्षिणात्य : मराठी

3. धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण (अधिक व्यवहारिक)

1. उत्तरी : सिंधी, लहंडा, पंजाबी
2. पश्चिमी : गुजराती
3. मध्यदेशीय : राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी
4. पूर्वी : उड़िया, बंगला, असमिया
5. दक्षिणी : मराठी

खड़ी बोली

- **खड़ी बोली** शब्द का प्रयोग दिल्ली-मेरठ क्षेत्र की बोली के लिए किया जाता है। ग्रियर्सन ने इसे वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी और सुनीतिकुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का आधार यही बोली है।
- खड़ी बोली शब्द के विषय में मतभेद हैं।
 - ✓ आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे संस्कृत के विसर्गान्त शब्दों से उत्पन्न बताया (उदा. उषः → उषा)।
 - ✓ कुछ विद्वानों ने बोली की कठोरता के कारण इसे “खड़ी” कहा।
 - ✓ धीरेन्द्र वर्मा और विद्यालंकार ने इसे कर्कशता व कटुता से जोड़ा।
 - ✓ राहुल सांकृत्यायन ने इसे कोरवी कहा।
 - ✓ आज के साहित्यिक हिंदी की नींव खड़ी बोली पर है।
- **खड़ी बोली की विशेषताएँ**
 - ✓ आकारान्त प्रधान भाषा है : करता, गया, बड़ा।
 - ✓ ए, ओ का उच्चारण संवृत (बेठ, घेर, होर)।
 - ✓ ह के पहले अ का उच्चारण ए की तरह (केहा)।
 - ✓ ठेठ रूपों में न → ण, ल → ल (जाणा, माळ)।
 - ✓ ऐ और औ मूल स्वर हो गए हैं।
 - ✓ क्रियाविश्लेषण में – अब, तब, जब, जिधर, इधर।
 - ✓ ‘नहीं’ के स्थान पर ‘नई’ रूप चलता है।
 - ✓ मूर्धन्य व्यंजनों का कम प्रयोग।
 - ✓ बोलचाल के ड, ढ → साहित्यिक ड, ढ।
 - ✓ इसी बोली के सुसंस्कृत रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा जाता है।

ब्रजभाषा

- ब्रज शब्द का अर्थ है गौ-चारण क्षेत्र। इसका उद्भव शौरसेनी प्राकृत से हुआ। साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज का प्रचार गुजरात से बंगाल तक रहा। सूरदास, बिहारी, भूषण आदि कवियों ने इसे अपनाया।

विशेषताएँ

- ✓ 12 स्वर ध्वनियाँ (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि)।
- ✓ खड़ी बोली के आ के स्थान पर ओ/आ (करता → करतो)।
- ✓ ‘ट्ट’ लिखा जाता है, उच्चारण ‘रि’।
- ✓ महाप्राण ‘ह’ का लोप (बारह → बारा)।
- ✓ कहीं-कहीं नपुंसकलिंग रूप सुरक्षित।
- ✓ भविष्यत् काल में सर्वनाम के साथ ‘गौ’ (मारौंगा)।
- ✓ सर्वनाम भिन्न (मैं → हो, मुझे → मोहि)।

अवधी

- अवधी का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ। इसे कभी *कोसली* भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में बुल्ला दाऊद की *चंदायन* अवधी का प्रथम महाकाव्य है। जायसी की *पद्मावत* और तुलसीदास की *रामचरितमानस* ने इसे उन्नति दी।
- अवधी का क्षेत्र : लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि।
- **विशेषताएँ**
 - ✓ स्वरों की मात्रा कम।
 - ✓ श, ष → स (विश्राम → विस्राम)।
 - ✓ च → त्स (बरखा → बरसा)।
 - ✓ शब्दांत आ का उच्चारण (मीठा → मीठाः)।
 - ✓ ऐ, औ का उच्चारण अई, अउ (जइसे, अउरत)।
 - ✓ महाप्राण ध्वनियाँ स्पष्ट।
 - ✓ संज्ञा के तीन रूप – लघु, दीर्घ, दीर्घता।
 - ✓ कर्ता परसर्ग ने का अभाव।
 - ✓ व्यंजनांत संज्ञाओं में ‘उ’ की वृद्धि (मनु → मनु)
 - ✓ सहायक क्रिया ‘है’ की जगह ‘अ’/‘बाट’ (वह बाटे)।

विविध अपभ्रंश भाषाओं से विकसित हिन्दी की उपभाषाएँ और बोलियाँ

क्र.सं.	अपभ्रंश का नाम	विकसित उपभाषा / भाषा	विकसित बोलियाँ
1.	शौरसेनी अपभ्रंश	पश्चिमी हिन्दी	आकार बहुला : कोरवी (खड़ी बोली), हरियाणवी (बांगरू/मांडू), दक्खिनी ओकार बहुला : ब्रज (अन्तर्वेदी), बुंदेली (बुंदेलखण्डी), कन्नौजी
		राजस्थानी	मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, मालवी, मेवाती
		गुजराती	स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित

2.	अर्द्धमागधी अपभ्रंश	पूर्वी हिन्दी	अवधी (बैसबाड़ी), बघेली
3.	मागधी अपभ्रंश	बिहारी	भोजपुरी, मैथिली, मगही
		अन्य भाषाएँ	उड़िया, बांग्ला, असमिया, छत्तीसगढ़ी
4.	महाराष्ट्री अपभ्रंश	मराठी	देशी, कोंकणी, बरारी, नागपुरी
5.	ब्राचड़ अपभ्रंश	सिन्धी	—
6.	कैकेय / पैशाची अपभ्रंश	लहँदा, पंजाबी	—
7.	दरद अपभ्रंश	कश्मीरी	डोगरी, संथाली
8.	खस अपभ्रंश	पहाड़ी	मध्यवर्ती पहाड़ी : गढ़वाली, कुमायूनी पश्चिमी पहाड़ी : नेपाली

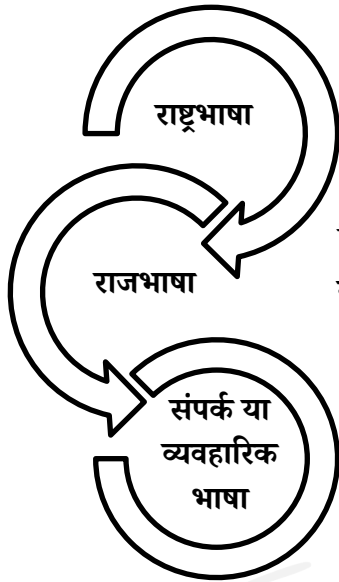
हिन्दी की वास्तविक उपभाषाएँ और बोलियाँ

हिन्दी की कुल 05 उपभाषाएँ मानी जाती हैं, जिनसे मिलकर 18 बोलियाँ विकसित हुई हैं।

क्र.सं.	उपभाषा	विकसित बोलियाँ
1.	पश्चिमी हिन्दी	कोरवी, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली
2.	राजस्थानी	मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, मालवी, मेवाती
3.	पूर्वी हिन्दी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
4.	बिहारी	भोजपुरी, मैथिली, मगही
5.	पहाड़ी हिन्दी	कुमायूनी, गढ़वाली

राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक विकास एवं प्रावधान

भाषा के रूप



किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती हैं। अथवा किसी भी राष्ट्र के अधिसंख्य लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती हैं।

किसी भी राष्ट्र के अथवा राज्य के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती हैं।

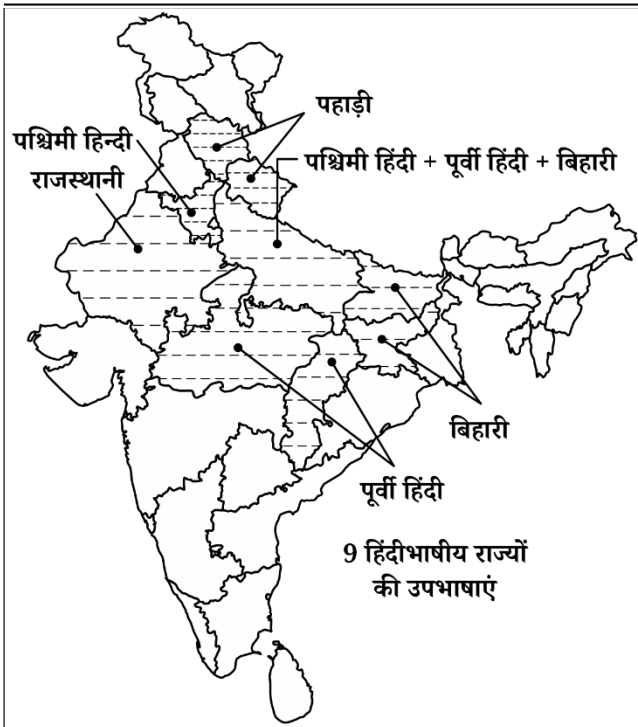
नोट : भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाएँ भारत वर्ष की राजभाषाएँ हैं।

किसी भी राष्ट्र के लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए प्रयुक्त भाषा सम्पर्क या व्यावहारिक भाषा कहलाती हैं।

- जिस भाषा में शासन का कामकाज सम्पादित होता है, उसे **राजभाषा** कहते हैं। अशोक के समय में **पालि राजभाषा** थी।
- राजस्थान में **ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी** के मध्य पुरावलेखों से पता चलता है कि उस समय **हिन्दी मिश्रित संस्कृत राजभाषा** थी।
- **मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिन्दी राजभाषा** थी। अकबर के शासनकाल में **मन्त्री टोडरमल** के आदेश से **फ़ारसी राजभाषा** घोषित की गई।
- **ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1833 ई. तक फ़ारसी को राजभाषा बनाए रखा।**
- ब्रिटिश शासन में **लॉर्ड मैकाले** के प्रयास से **अंग्रेज़ी राजभाषा** के पद पर सुशोभित हुई।
- राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही **हिन्दी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा** बनाने की जोरदार माँग उठी।
- पं. मदनमोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रान्त की कचहरी की भाषा के रूप में हिन्दी को उर्दू के समान अधिकार मिला।
- मारतवर्ष के लिए हिन्दी भाषा का नाम सबसे पहले पं. मदनमोहन मालवीय ने सुझाया।

भारत में हिन्दी भाषा की स्थिति

- भारत में हिन्दी भाषा उपर्युक्त तीनों पदों पर प्रतिष्ठित भाषा मानी जाती है।
- हिन्दी भाषा भारत की अपनी एक विशिष्ट भाषा है, जिसके कारण व्यावहारिक तौर पर हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है।
- हमारे संविधान में हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
- भारत के अधिकतर लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः हिन्दी भारत की सम्पर्क या व्यावहारिक भाषा भी मानी जाती है।



हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाये जाने का संक्षिप्त इतिहास

भारतीय संविधान सभा के समकक्ष भारत की राजभाषा का प्रश्न आने पर 14 सितम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा के सदस्य श्री गोपाल स्वामी आर्यंगर के द्वारा हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन संविधान सभा ने अपने पूर्ण बहुमत से (298/ 312), इस प्रस्ताव को पारित कर दिया एवं इसी दिन हिन्दी भाषा को, भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया।

हिन्दी दिवस

14 सितम्बर, 1949 ई. को हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किये जाने के कारण इस दिन को हिन्दी भाषा के लिए विशेष महत्व मानते हुए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रस्ताव पर भारत सरकार के द्वारा 1953 ई. में 14 सितम्बर के दिवस को हिन्दी दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा कर दी गयी एवं पहला हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 1953 ई. को मनाया गया।

यह भी जाने ?

वर्तमान में जो हिन्दी शिक्षा, संचार, प्रशासन आदि में प्रयुक्त हो रही है, उसका मूल आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिन्दी की एक बोली है तथा दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर की बोली है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।

राजभाषा हिन्दी: संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के 5वें, 6वें तथा 17वें, इन तीन भागों में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान है।
 - ✓ इनमें **भाग-5 के अनुच्छेद 120** में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में निर्देश हैं।
 - ✓ **भाग-6 के अनुच्छेद 210** में 'राज्य के विधान मण्डलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के सम्बन्ध में निर्देश है।
 - ✓ **17वें भाग के चार अध्यायों** में राजभाषा सम्बन्धी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं।

इनमें **प्रथम अध्याय** में संघ की राजभाषा के रूप में 343 और 344 अनुच्छेद हैं।

द्वितीय अध्याय में 345, 346, 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं।

17 वें भाग 4 अध्याय

चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350 में अन्याय निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा का निर्देश है जबकि 351 में हिन्दी भाषा के विकास के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिए गए हैं।

तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 348, 349 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है।

प्रमुख प्रावधान		
अनुच्छेद	परिभाषा	विवरण
अनुच्छेद 343	संघ की राजभाषा	➤ संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 344	राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति	➤ राजभाषा समिति एवं राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। ➤ इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नयी लोकसभा के गठन के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा ➤ जिसमें निम्नानुसार 30 सदस्य शामिल किये जायेंगे - ✓ लोकसभा 20 ✓ राज्यसभा 10 ➤ इस अनु. के तहत भारत में अब तक केवल एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ✓ गठन - 07 जून, 1955 - अध्यक्ष श्री बालगंगाधर खैर (बी. जी. खैर) ✓ 1957 समिति अध्यक्ष - नी. बी. पंत ✓ विभिन्न राज्यों में इसके 20 सदस्य मनोनीत किये गये व आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की।
अनुच्छेद 345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ	➤ राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान। ➤ इस अनु. में भारत के विविध राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ➤ भारत के समस्त राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है 1. क श्रेणी ✓ हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने वाले राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश। ✓ इस श्रेणी में निम्न 10 राज्य शामिल किये गये हैं - राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली 2. ख श्रेणी ✓ हिन्दी को सहराजभाषा स्वीकार करने वाले राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश। ✓ इस श्रेणी में निम्न चार राज्य शामिल किये गये हैं - पंजाब, चण्डीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र 3. ग श्रेणी ✓ अपनी स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले राज्य (केन्द्र शासित प्रदेश) ✓ इस श्रेणी में शेष सभी 22 राज्य शामिल किये गये हैं।
भाग 17, अनुच्छेद 346	एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा	➤ भारत सरकार किसी राज्य के साथ अथवा एक राज्य अन्य राज्य के साथ पत्राचार करते समय किस भाषा का प्रयोग करेगा, इसका उल्लेख इस अनुच्छेद में लिखा है। ➤ भारत के सभी राज्यों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में बाँटा गया है - ✓ श्रेणी क : केवल हिन्दी में पत्राचार (10 राज्य 1 न. के) ✓ श्रेणी ख : हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग (4 राज्य) चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। ✓ श्रेणी ग : केवल अंग्रेजी में पत्राचार (22 राज्य)
भाग 17, अनुच्छेद 347	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध	➤ भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उनकी भाषा को मान्यता प्रदान करने की माँग करने पर भारत सरकार इस अनु. के तहत उस भाषा को मान्यता प्रदान करती है। ➤ इस अनु. के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाता है। ➤ आठवीं अनुसूची में अब तक निम्नानुसार 22 भाषाएँ शामिल की जा चुकी हैं। ✓ संविधान लागू होने के समय शामिल भाषाएँ -कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलगू, ओडिया, बांग्ला, असमिया, उर्दू, संस्कृत, 14. हिन्दी ✓ 21 वाँ संविधान संशोधन 1967 - सिंधी

		✓ 71 वाँ संविधान संशोधन 1992 - मणिपुरी, कोंकणी, नेपाल ✓ 92 वाँ संविधान संशोधन 2003 - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली
भाग 17, अनुच्छेद 348	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	➤ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ➤ इस अनु. के अनुसार भारतीय संसद / विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये अधिनियमों / अध्यादेशों / उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जायेगा। विरोधाभाव की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।
भाग 17 अनुच्छेद 349	भाषा से संबंधित कुछ विधियान अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया ।	
भाग 17 अनुच्छेद 350	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान	
भाग 17 अनुच्छेद 351	हिन्दी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश	

राजभाषा हिन्दी सम्बन्धी विभिन्न समितियाँ:

हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के सम्बन्ध में विभिन्न समितियाँ गठित हैं।

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति

- ✓ केन्द्रीय हिन्दी समिति की स्थापना संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों एवं अनुदेशों के आधार पर की गई है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं कार्यों का समन्वय करती है।
- ✓ यह समिति राजभाषा नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति द्वारा लिये गये निर्णय, भारत सरकार के निर्णय माने जाते हैं
- ✓ **अध्यक्षता** - प्रधानमंत्री जी समिति के अध्यक्ष ।
- ✓ **सदस्य**
 - प्रधानमंत्री
 - कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री
 - कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री
 - संसद सदस्य
 - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विद्वान
 - राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार (सदस्य सचिव)

✓ कार्यप्रणाली

- समिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- इन बैठकों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

2. हिन्दी सलाहकार समितियाँ

- ✓ केन्द्रीय हिन्दी समिति की स्थापना संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के आधार पर की गई है।
- ✓ **उद्देश्य** : इस समिति का मुख्य उद्देश्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना, सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों और कार्यों का समन्वय करना है।
- ✓ यह समिति राजभाषा नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है।
- ✓ **अध्यक्षता** : प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष।
- ✓ **सदस्य**
 - प्रधानमंत्री
 - कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री
 - कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री
 - संसद सदस्य
 - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान
 - राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार (सदस्य सचिव)

3. संसदीय राजभाषा समिति

- ✓ राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है।
- ✓ इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
- ✓ इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।
- ✓ समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उपसमितियाँ बनाई गई हैं और प्रत्येक उपसमिति का एक समन्वयक होता है।
- ✓ यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- ✓ राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाते हैं और साथ ही राज्य सरकारों को भी भेजते हैं।
- ✓ राजभाषा के क्षेत्र में यह समिति सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति मानी जाती है।

4. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

- ✓ राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य यह समिति करती है।
- ✓ विभिन्न समितियों के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव पद के समान) तथा मंत्रालयों में राजभाषा का कार्य सम्पादन करने वाले निदेशक तथा उपसचिव इसके सदस्य होते हैं।
- ✓ यह समिति यथासंशोधित राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आयी कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित

भाषाएँ :

क्रमांक	भाषा	प्रमुख क्षेत्र / राज्य
1	असमिया	असम
2	उड़िया (ओड़िया)	ओड़िशा
3	उर्दू	जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि

4	कन्नड़	कर्नाटक
5	कश्मीरी	जम्मू-कश्मीर
6	गुजराती	गुजरात
7	तमिल	तमिलनाडु
8	तेलुगु	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
9	पंजाबी	पंजाब
10	बांग्ला	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
11	मराठी	महाराष्ट्र
12	मलयालम	केरल
13	संस्कृत	सम्पूर्ण भारत (धार्मिक व शास्त्रीय भाषा)
14	सिंधी	सम्पूर्ण भारत (मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र)
15	हिन्दी	उत्तर भारत के अधिकांश राज्य
16	मणिपुरी (मैतेयी)	मणिपुर
17	नेपाली	सिक्किम, उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग), असम
18	कोंकणी	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र
19	संथाली	झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, बिहार
20	बोडो	असम (विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र)
21	डोगरी	जम्मू क्षेत्र
22	मैथिली	बिहार, झारखंड

भारत में शास्त्रीय भाषा की स्थिति के मानदंड और निहितार्थ

- 2004 में, भारत सरकार ने "शास्त्रीय भाषाएँ" नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। 2006 में, इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंड निर्धारित किए।
- मानदंड:
 - ✓ इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्षों की अवधि की है।
 - ✓ प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है।
 - ✓ साहित्यिक परंपरा जो मौलिक हो और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई हो।

- शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक असातत्य भी हो सकता है।
- **लाभ:** वित्तीय सहायता; प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख पुरस्कार; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह (कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में) भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।
- **शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएँ**
 1. तमिल (2004)
 2. संस्कृत (2005)
 3. तेलुगु (2008)
 4. कन्नड़ (2008)
 5. मलयालम (2013)
 6. ओडिया (2014)

उपभाषा :

- एक से अधिक बोलियाँ मिलकर उपभाषाओं का निर्माण करती हैं।
- भारत की हिन्दी भाषा से सम्बन्धित 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है।

उपभाषा	बोलियाँ	मुख्य क्षेत्र
राजस्थानी	मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी), जयपुरी/ढूँढाड़ी (पूर्वी राजस्थानी), मेवाती (उत्तरी राजस्थानी), मालवी (दक्षिण राजस्थानी)	राजस्थान
पश्चिमी हिन्दी	कौरवी (खड़ी बोली), बाँगरू (हरियाणवी), ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी	हरियाणा, उत्तर प्रदेश
पूर्वी हिन्दी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
बिहारी	भोजपुरी, मगही, मैथिली	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
पहाड़ी	कुमाऊँनी, गढ़वाली, (मध्य/पश्चिम पहाड़ी)	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

देवनागरी लिपि

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार **देवनागरी भारत की राजलिपि** है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
 - ✓ देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी (500 ई.पू.) भारत की प्राचीन लिपि थी जो 7-8वीं शताब्दी तक प्रयोग में रही।
 - ✓ सम्राट अशोक (272-232 ई.पू.) के समय में यह राष्ट्रीय लिपि थी।
 - ✓ अशोक ने अपनी राजाज्ञा अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में खुदवाई। ब्राह्मी के प्राचीनतम लेख पांचवी सदी ई.पू. के मिले हैं।
 - ✓ देवनागरी के प्राचीनतम लेख सातवीं सदी के मिलते हैं।
- **देवनागरी वर्णमाला**
 - ✓ क, ख, ग आदि अक्षर देवनागरी के हैं। इनकी संख्या 52 है। इसमें कुल 52 वर्ण हैं जिसमें से स्वर वर्ण 11 हैं तथा शेष 41 वर्ण व्यंजन हैं। यथा-
 - स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ = 11
 - अनुस्वार - अं = 1
 - विसर्ग - अः = 1
 - व्यंजन
 1. क, ख, ग, घ, ङ - कंठ्य
 2. च, छ, ज, झ, ञ - तालव्य
 3. ट, ठ, ड, ढ, ण - मूर्धन्य
 4. त, थ, द, ध, न - दंत्य
 5. प, फ, ब, भ, म - ओष्ठ्य
 6. य, र, ल, व - अंतस्थ - 4
 7. श, ष, स, ह - ऊष्म - 4
 8. क्ष, त्र, ज्ञ - संयुक्त व्यंजन-4

➤ क्ष, त्र, ज्ञ, श्र - संयुक्त व्यंजन-4

➤ ङ, द - उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण व्यंजन

सरकारी वर्णमाला में ङ, द, श्र को स्थान नहीं दिया गया है। अतः वहाँ कुल वर्णों की संख्या 52-3 = 49 ही मानी गयी है। देवनागरी वर्णमाला (सरकारी स्तर) में 11 स्वर हैं। देवनागरी वर्णमाला से 38 व्यंजन हैं। देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल 49 वर्ण हैं। 'श्र' को सरकारी देवनागरी में स्थान प्राप्त नहीं है।

- देवनागरी के अंक हैं-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 नेपाल में इन्हें राष्ट्रीय अंक माना गया है किन्तु भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को ही मान्यता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 के रूप में लिखे जाते हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- हिंदी भाषा समुदाय में सम्मिलित सभी 20 बोलियाँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं।
- भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में मराठी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नैपाली, कोंकणी, बोडो, कश्मीरी और डोगरी की लिपि देवनागरी ही है।

- अब तो उर्दू भी देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी है जो भारत में उर्दू की अपनी फारसी लिपि की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है।
- नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है।
- इसके अतिरिक्त गुजराती, गुरुमुखी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मैथिली, शारदा, लंडा भी देवनागरी से बिल्कुल मिलती-जुलती है।



Toppersnotes
Unleash the topper in you